पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का क्रिमिनल मिसेलेनियस संख्या- 33232

थाना कांड संख्या वर्ष 2016 का 5, थाना-ई.सी.आई.आर.(सरकारी आधिकारिक)

जिला-पटना

==========

राजेश कुमार अग्रवाल उर्फ राजेश कुमार अग्रवाल, पुत्र- गोविंद प्रसाद अग्रवाल, निवासी-के. के. साहू गली, केदार नाथ रोड, मधुसूदन गार्डन, थाना-मुजफ्फरपुरर टाउन, जिला-मुजफ्फरपुर

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

सहायक निदेशक (पीएमएलए) के माध्यम से भारत संघ, भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय, पहली मंजिल, चांदपुरा प्लेस, बैंक रोड, पश्चिम गांधी मैदान, पटना।

..... विपक्षी/गण

= = = =

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ती:माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः17-09-2024

यह याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन विशेष सुनवाई (पी. एम. एल. ए.) 2018 का 02 सं. जो ई. सी. आई. आर. सं. पीटीजेडओ/05/2016 दिनांक 18.07.2018 से उत्पन्न है धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पीएमएलए") की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दाखिल किया गया है ।

2. इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 2016 का गया सिविल लाइन थाना कांड संख्या 339 श्री शशि कुमार की शिकायत पर शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक अधिकारियों द्वारा उनके भाई और उनकी फर्म के बैंक खाते का दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि विशाल नकद राशि जमा की गई और उनकी जानकारी के बिना दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दी गई। इसी तरह, एक एफ. आई. आर., 2016 के गया पी. एस. केस नंबर 340 के माध्यम से, श्री राजेश कुमार द्वारा बैंक अधिकारियों द्वारा अपने और अपनी पत्नी के बैंक खाते के दुरुपयोग के संबंध में दाखिल किया गया था क्योंकि भारी नकदी राशि जमा की गई थी और उनकी जानकारी के बिना दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 419,420,467,468,469,471 और 120 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उपरोक्त प्राथमिकियां दर्ज की गईं। इसके बाद, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, पटना के पत्र के आधार पर, ईसीआईआर नं. पी. टी. जेड. ओ./05/2016 उपरोक्त दो प्राथमिकियों के संबंध में दिनांक 26.12.2016 को दर्ज की गई थी और जांच शुरू की गई थी।

3. मेसर्स शिवा एग्रो एंटरप्राइजेज (2016 का गया सिविल लाइन पी. एस. केस नंबर 339 के शशि कुमार नामक सूचक की फर्म) के खाते के विवरण के अवलोकन से पता चला है कि रु. 86,00,000 नकद तारीख 12.11.2016 को जमा किया गया था और रु 76,20,000-मैसर्स मां तारा एजेंसी के बैंक खाते में 12.11.2016 को ही स्थानांतरित किया गया था और श्री रजनीश कुमार (सूचना देने वाले के भाई अर्थात् गया सिविल लाइन पी. एस. केस नंबर वर्ष 2016 का 339 के सूचक शशि कुमार) के बैंक खाते के खाते के विवरण से पता चला कि रु. 86,00,000- 12.11.2016 पर नकद में जमा किया गया था और रु. 70,00,000-को मेसर्स माँ तारा एजेंसी के बैंक खाता में 12.11.2016 को ही स्थानांतरित किया गया था। उपरोक्त तथ्यों पर, यह आरोप लगाया गया है कि **रुपया 146.20 लाख** मेसर्स माँ तारा एजेंसी, मुज़फ़्फ़रपुर के बैंक खाते में कथित रूप से अपराध की आय के रूप में हस्तांतरित किए गए थे और चूंकि याचिकाकर्ता एजेंसी का मालिक है, इसलिए उसे पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता चीनी की बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है और उसी क्रम में, उसने अक्टूबर 2016 के महीने में चीनी के एक रैक की खरीद के लिए बातचीत की, जिसे अनंतिम बिक्री अनुबंध दिनांक 27.10.2016 के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया था। उक्त रैक फतुहा में 14.11.2016 को पहुँचा। पवन कुमार जैन और चक्रेश जैन नामक एक व्यक्ति ने उनसे चीनी के 8200 बोरा खरीदने के लिए संपर्क किया, जिसमें प्रत्येक बोरा में 50 किलोग्राम चीनी थी। जिसे रुपया 3810/- प्रति क्विंटाल की दर से 11.11.2016 को खरीदा गया और पवन कुमार जैन और चक्रेश जैन ने वादा किया था कि याचिकाकर्ता को 12.11.2016 को दो भागों में भुगतान किया जाएगा-आर. टी. जी. एस. के माध्यम से 76.20 लाख और रु 70.00 लाख दो किस्त में। जब याचिकाकर्ता को पता चला कि यह राशि दो अलग-अलग बैंक खातों से जमा की गई है जो श्री पवन कुमार जैन और श्री चक्रेश जैन से संबंधित नहीं हैं, याचिकाकर्ता ने उन्हें पत्र लिखने के बाद 2017 का मुज़फ़्फ़रपुर टाउन पी. एस. केस नंबर 134 दिनांक 01.03.2017 को एक एफ़. आई. आर. दर्ज कराई।

5. अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह मामला पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ***तारसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** के मामले में शामिल है जो***2024 (3) पी. एल. जे. आर. (एस. सी.) 119***में रिपोर्ट किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक बार पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद, विशेष अदालत मामले को अपने हाथ में ले लेती है और पी. एम. एल. ए. की धारा 19 में नामित ईडी और अन्य अधिकारी शिकायत में दिखाए गए अभियुक्त की गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि एक बार शिकायत दायर होने के बाद, यह Cr.P.C की धारा 200 से 205 द्वारा शासित होगा. क्योंकि उक्त प्रावधानों में से कोई भी PMLA के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं है और विशेष न्यायालय अभियुक्त को Cr.P.C की धारा 88 के संदर्भ में बॉन्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है. और पर्याप्त कारण पर, धारा 205 Cr.P.C के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी दे सकता है। ***विजय केतन साहू बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***तारसेम लाल (पूर्वोक्त)***के फैसले का पालन किया गया था। जिसका ***संख्या एसएलपी (आपराधिक) 2024 का सं. 8325***है। जिसमें 29.07.2024 दिनांकित आदेश के माध्यम से, अंतरिम आदेश को इस टिप्पणी के साथ पूर्ण बनाया गया था कि विशेष न्यायालय अपीलार्थी/याचिकाकर्ता निर्देश दे सकता है Cr.P.C की धारा 88 के अनुसार उपस्थिति के लिए मुचलका प्रस्तुत करने के लिए । इसलिए, उपरोक्त आधार पर, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

6. दूसरी ओर, विरोधी पक्ष/ईडी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि एक बार जब कोई आरोपी विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो उसे उसकी हिरासत में माना जाता है और इस तरह, आरोपी को Cr.P.C की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। हालाँकि, मामले की योग्यता के आधार पर, वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता का नाम एफ. आई. आर. में इस विशिष्ट आरोप के साथ है

कि **रु. 146.20 लाख**, कथित रूप से अपराध की आय, उनकी फर्म के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। मेसर्स माँ तारा एजेंसी के मालिक होने के नाते, उन्होंने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत 07.07.2017 दिनांकित बयान के दौरान निम्नलिखित कहाः

" (i) उन्होंने चीनी की खरीद और बिक्री के लिए 2009 में मेसर्स मां तारा एजेंसी के नाम से व्यवसाय शुरू किया।

(ii) वह श्री रजनीश कुमार और मैसर्स शिवा एग्रो एंटरप्राइजेज के निदेशक को नहीं जानते थे।

(iii) रु 70,00,000-और रु 76,20,000-क्रमशः श्री रजनीश कुमार और मिस शिवा एग्रो एंटरप्राइजेज के बैंक खाते से उनकी फर्म मेसर्स मां तारा एजेंसी के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक की मिठानपुरा शाखा, मुज़फ़्फ़रपुर में खाता नंबर 35810387168 में जमा किया गया था।

(iv) उन्होंने श्री रजनीश कुमार और मैसर्स शिवा टेक्सटाइल्स के नाम पर चालान जारी किया और पार्टी वार खाता तैयार किया क्योंकि श्री पवन जैन ने इन खातों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की थी और उन्हें श्री रजनीश कुमार और मैसर्स शिवा एग्रो एंटरप्राइजेज के नाम पर चालान और खाता तैयार करने के लिए कहा था।

(v) जब उन्हें पता चला कि एस. बी. आई., मुज़फ़्फ़रपुर में उनका बैंक खाता ज़ब्त कर दिया गया है, तो उन्होंने पवन कुमार जैन और मिंटू जैन (पवन कुमार जैन के बेटे) के खिलाफ चीनी का ऑर्डर देने के संबंध में तीसरे पक्ष के खाते से अग्रिम भुगतान करने के लिए एक एफ़. आई. आर. दर्ज की।

(vi) जाँच से पता चला कि याचिकाकर्ता राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा पी. एम. एल. ए. के तहत जाँच शुरू करने के बहुत बाद 01.03.2017 दिनांकित एफ. आई. आर. सं. 134/17 दायर की गई थी।

(vii) उसने तीसरे पक्ष से जमा स्वीकार करने में गलती की। "

7. प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर, यह स्पष्ट है कि अपराध की आय को स्तरित किया गया है और मेसर्स मां तारा एजेंसी के खातों में विलय कर दिया गया है। तदनुसार, मैसर्स माँ तारा एजेंसी, मुज़फ़्फ़रपुर के मालिक श्री राजेश कुमार अग्रवाल की संपत्तियाँ धन शोधन में शामिल पाई गई हैं और उन्हें कुर्क किया गया है। कुर्की आदेश सं. 02/2017 दिनांकित 18.09.2017 द्वारा और ओ. सी. सं. 826/2017 निर्णय के लिए दायर किया गया है जिसकी पुष्टि विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 17.01.2018 आदेश के माध्यम से की गई है। तदनुसार, वह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, विद्वान सत्र

न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटना ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है, दिनांक 27.01.2023 के आदेश के अनुसार और इस न्यायालय को उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत है और तदनुसार, विशेष परीक्षण संख्या (पीएमएलए) 02/2018 में विद्वान सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटना द्वारा पारित दिनांक 27.01.2023 के आदेश को, ***तारसेम लाल (उपरोक्त)*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में रद्द किया जाता है और विद्वान विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना को याचिकाकर्ता के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने और ***तारसेम लाल (उपर्युक्त)***के मामले के पैराग्राफ 23 और 25 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के आलोक में निम्नलिखित शर्तों के साथ उसका निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है:

(i) याचिकाकर्ता इस आदेश की प्राप्ति/प्रति पेश करने की तारीख से एक महीने के भीतर संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष पेश होगा और विशेष न्यायालय के समक्ष एक वचन पत्र दायर करेगा कि वह नियमित रूप से और समय पर निर्धारित तिथियों पर विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि उसकी उपस्थिति को दं प्र स की धारा 205 के तहत शक्तियों के प्रयोग द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है। और

(ii) याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दं प्र स की धारा 88 के अनुसार बांड प्रस्तुत करेगा ।

9. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस याचिका की अनुमति है।

(प्रभात कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

अनय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।